



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258190
CG-DL-E-23102024-258190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4268]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946

No. 4268]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

(वित्त मंत्रालय)

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

सं. 69/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4642(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	1008 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	1019 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	1014 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	1024 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	1027 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	1026 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	1025 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
8	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)	5626 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	855 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	1118 प्रति किलोग्राम
3	71	(i) रजत, पदकीय या रजत सिक्कों से भिन्न किसी भी रूप में, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप; (ii) पदकीय या रजत सिक्के, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या डाक, कुरियर या सामान के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप।	1118 प्रति किलोग्राम

		स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्ररूप में रजत के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के सिक्के, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं नहीं हैं।	
4	71	(i) स्वर्ण बार, तोला बार से भिन्न, जिस पर विनिर्माणकर्ता या रियाइनर का खुदा हुआ क्रम संख्यांक और मिट्रिक यूनिटों में भार अभिव्यक्त है; (ii) स्वर्ण सिक्के, जिसमें 99.5 प्रतिशत से अन्यून स्वर्ण है, और स्वर्ण प्राप्तियां, डाक, कुरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "स्वर्ण प्राप्तियां" से कोई छोटा संघटक, जैसे हुक, क्लास्प, क्लैप, पिन, कैच, स्क्रू बैक, जिसका उपयोग पूर्ण आभूषण या उसके किसी भाग को स्थान में जोड़े रखने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है।	855 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	6552(अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)"

2. यह अधिसूचना 24 अक्तूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 467/01/2024-सीमा शुल्क.V]

मेघा बंसल, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 66/2024-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 अक्तूबर 2024, जिसे का.आ. 4535 (अ) दिनांक 15 अक्तूबर 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2024

No. 69/2024-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 4642(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely: -

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	1008 (i.e., no change)
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	1019 (i.e., no change)
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	1014 (i.e., no change)
4	1511 10 00	Crude Palmolein	1024 (i.e., no change)
5	1511 90 20	RBD Palmolein	1027 (i.e., no change)
6	1511 90 90	Others – Palmolein	1026 (i.e., no change)
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	1025 (i.e., no change)
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	5626 (i.e., no change)

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 356 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	855 per 10 grams (i.e., no change)
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 357 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed	1118 per kilogram
3.	71	(i) Silver, in any form, other than medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92; (ii) Medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, silver in any form shall not include foreign currency coins, jewellery made of silver or articles made of silver.	1118 per kilogram

4.	71	<p>(i) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer's or refiner's engraved serial number and weight expressed in metric units;</p> <p>(ii) Gold coins having gold content not below 99.5% and gold findings, other than imports of such goods through post, courier or baggage.</p> <p>Explanation. - For the purposes of this entry, "gold findings" means a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of Jewellery in place.</p>	855 per 10 grams (i.e., no change)
----	----	--	------------------------------------

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	6552 (i.e., no change)"

2. This notification shall come into force with effect from the 24th day of October, 2024.

[F. No. 467/01/2024-Cus.V]

MEGHA BANSAL, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 66/2024-Customs (N.T.), dated the 15th October 2024 e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4535 (E), dated 15th October 2024.